भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4274**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक पीएसयू का विनिवेश

4274. श्री हैबी ईडन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्त वर्ष 2026 से उर्वरक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के चरणबद्ध विनिवेश की योजना को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है;
(ख) विनिवेश हेतु उर्वरक पीएसयू का चयन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और किन-किन कारकों पर विचार किए जाने की संभावना है और प्रचालन दक्षता और वित्तीय निष्पादन के संदर्भ में इसके क्या परिणाम निकलने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार ने उर्वरक पीएसयू के प्रस्तावित विनिवेश के संबंध में पीएसयू के कर्मचारियों और किसान संगठनों सहित हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां, तो क्या फीडबैक प्राप्त हुआ है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसे किस प्रकार शामिल किए जाने की संभावना है; और
(घ) सरकार को उर्वरक पीएसयू के चरणबद्ध विनिवेश से कितना अनुमानित राजस्व अर्जित होने की अपेक्षा है और इसके द्वारा इस निधि का उपयोग किस प्रकार किए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी नहीं।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता।

****